कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक:एफ 2 (2) 20/विधि/प्रमुवस/5841-5972 दिनांक: 27.6.22

निगित्त,

समस्त उप वन संरक्षक/भू–सांरक्षण अधिकारी
राजस्थान।

विषयः– लाईट्स साफ्टवेयर में दर्ज न्यायिक प्रकरणों में त्वरित अपडेशन की कार्यवाही बाबत।

संदर्भः–प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 16(4)वन/2021 दिनांक 17.6.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि लाईट् साफ्टवेयर में इन्द्राज न्यायिक प्रकरणों में त्वरित अपडेशन की कार्यवाही असन्तोषजनक होने से प्रमुख शासन सचिव वन द्वारा नाराजगी जाहिर की है एवं निम्नांकित कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।

1 न्याय विभाग के लाईट्स साफ्टवेयर में दर्ज 1 से 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष एवं 20 वर्ष से अधिक के लम्बित न्यायिक प्रकरणों की वस्तुस्थिति अद्यतन अपडेट की जावे।

2 अपील दायर किये जाने वाले प्रकरणों में शीघ्र अपील प्रस्तुत की जावे।

3 1 वर्ष से अधिक पालना से शेष प्रकरणों में पालना की कार्यवाही की जावे।

4 विभाग के विरूद्ध जारी स्थगन आदेश को निरस्त करवाने की कार्यवाही की जावे।

5 अवमानना प्रकरणों में शीघ्र जवाब प्रस्तुत कर निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

6 ड्यू कोर्ट प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण शीघ्र निस्तारित करवाने की कार्यवाही की जावे।

7 न्यायिक प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक को नियमित रूप से अद्यतन कराया जावे।

इस कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) राजस्थान द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शीघ्र समीक्षा बैठक आयोजित की जावेगी।

अतः लेख है कि न्यायिक प्रकरणों में उक्तानुसार कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए संपादित करावें एवं लाईट्स सॉफ्टवेयर पर विभिन्न सूचनाओं को दिनांक 30.6.2022 से पूर्व अद्यतन करावें ताकि प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(राधा नागर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी।
27/6/22

क्रमांकःएफ 2 (2) 20/विधि/प्रमुवस/5973-6002 दिनांकः 27.6.22

प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपि समस्त मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालयों को आपके स्तर से भी पाबन्द करें तथा आपके स्तर पर न्यायिक प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते रहें।

(राधा नागर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी।
27/6/22

शिखर अग्रवाल
प्रमुख शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

जयपुर
राजस्थान

अर्द्ध शासकीय पत्रांक 16(4)वन/2021
जयपुर, दिनांक 17 JUN 2022

प्रिय महोदय,

मैं आपका ध्यान अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.01.2022 की ओर दिलवाना चाहूँगा जिसके माध्यम से लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज विभागीय न्यायिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभिन्न स्तरों पर लम्बित कार्यवाही को शीघ्र सम्पन्न करवाए जाने की अपेक्षा की गई थी किंतु लगभग 6 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी इस दिशा में प्रगति लगभग शून्य है।

न्याय विभाग द्वारा लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज 01–10 वर्ष, 10–20 वर्ष एवं 20 वर्ष से अधिक के लम्बित न्यायिक प्रकरणों, अपील दायर करने से शेष प्रकरणों, 1 वर्ष से अधिक पालना एवं जवाबदावा पेश करने से शेष प्रकरणों तथा विभाग के विरूद्ध जारी स्टे एवं अवमानना प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में जिला स्तर पर पदस्थापित समस्त प्रभारी अधिकारीगण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर न्यायिक प्रकरणों में लम्बित कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाए जाने के निर्देश दिया जाना एवं इसकी पाक्षिक आधार पर मॉनिटरिंग किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय प्रगति के सर्वथा असंतोषजनक रहने के आधार पर न्याय विभाग द्वारा आगामी समीक्षा बैठक माननीय मंत्री महोदय अथवा मुख्य सचिव के स्तर से करवाने बाबत अवगत करवाया गया है। अतः मेरी आपसे अपेक्षा है कि कृपया विभाग के लम्बित न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण एवं लाईट्स सॉफ्टवेयर में वस्तु स्थिति के अद्यतन अपडेशन में व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाएँ। इस हेतु न्याय विभाग द्वारा चिन्हित श्रेणियों में लम्बित प्रकरणों की नियमित सुनवाई/ड्यू कोर्स के आधार पर छँटनी करवाई जाकर वांछित सूचना दिनांक 30.06.2022 तक भिजवायें ताकि न्याय विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा (15 जुलाई, 2022) से पूर्व प्रगति परिलक्षित करवाई जा सके।

URGENT
APCCF(LSL)
Pl. put up on file
23/6/22

भवदीय

(शिखर अग्रवाल)

डॉ दीप नारायण पाण्डेय,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ),
जयपुर।